



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 399 राँची, शुक्रवार,

28 अगस्त, 2020 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

23 सितम्बर, 2019

विषय:- खास महाल भूमि को फ्रीहोल्ड करने के संबंध में ।

सं.सं.-7/खा.म. (अध्ययन यात्रा)-03/19-3586 रा०,--राज्य में स्थित खास महाल भूमि 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्त की जाती है। सरकार द्वारा समय-समय पर लीज बंदोबस्ती/नवीकरण के लिए सलामी एवं लगान का दर निर्धारित की जाती है।

खास महाल भूमि पर आवासित व्यक्तियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा बहुत वर्षों से खास महाल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की माँग की जाती रही है।

विभागीय अधिसूचना सं.-816/रा., दिनांक-27.02.2019 के द्वारा सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में खास महाल भूमि से संबंधित विकल्पों (फ्रीहोल्ड करने सहित) पर विचार कर राज्य सरकार को संस्तुति देने हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी।

उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ खास महाल भूमि को फ्रीहोल्ड करने का निर्णय लिया गया है:-

- (i) लीज की गई भूमि को **freehold** करने का निर्णय **Case by Case** आधार पर लिया जायेगा।
- (ii) **freehold** करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि **Public Purpose** के लिए संबंधित भूमि को **resume** करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) लीज की गई जमीन को **freehold** उसी स्थिति में किया जायेगा, जब सभी **violations** को नियमित करने के पश्चात् लीज नवीकरण कर दिया गया हो।
- (iv) लीजभूमि **freehold** करने के लिए आवासीय प्रयोजन की भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत एवं व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत राशि भुगतान करना होगा।

फ्रीहोल्ड किये गये भूमि का महिलाओं के नाम निबंधन करवाने पर 1/- (एक रुपया) निबंधन शुल्क से संबंधित अधिसूचना जापांक-499/नि0, दिनांक- 19.06.2017 एवं 500/नि0, दिनांक-19.06.2017 लागू नहीं होगा।

- (v) किसी भी लीज को **freehold** करने हेतु निबंधन की जिम्मेवारी लीज होल्डर की होगी और उसके द्वारा ही नियमानुसार निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क दिया जायेगा।
- (vi) **Freehold** करने के लिए आवेदन समर्पित करने की अधिकतम अवधि 3 (तीन) वर्ष होगी।
- (vii) निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के पश्चात् लीज की शर्तों का उल्लंघन होने वाले मामलों में कानूनी प्रावधान कड़ाई से लागू किये जायेंगे।

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-17.09.2019 के मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव
